



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 16 अप्रैल, 2024

थाना ककोड

50 पेटी अवैध देशी शराब (कीमत लगभग 02 लाख रुपये) सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 16-04-2024 को थाना ककोड पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर चैकिंग के दौरान गांव शेरपुर की तरफ कच्चे रास्ते से 01 अभियुक्त को 50 पेटी(कुल 2500 पक्वै) अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना ककोड पर मुअसं- 130/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. रविन्द्र पुत्र रघुवीर उर्फ रग्गा निवासी दस्तूरा थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 50 पेटी(कुल 2500 पक्वै) अवैध देशी शराब

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि बरामद शराब को वह हरियाण से लेकर आया था तथा आस पास के क्षेत्र में उच्चे दामों में बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहता था।

गिरफ्तार अभियुक्त रविन्द्र का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअस-101/13 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं- 364/16 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मुअसं- 379/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
- 4- मुअसं- 318/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
- 5- मुअसं- 296/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
- 6- मुअसं- 130/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली थाना ककोड पुलिस टीम -

1. श्री सतेन्द्र कुमार थाना प्रभारी ककोड
2. उ0नि0 रमेश चन्द, उ0नि0 अभयेन्द्र कुमार गंगवार
3. है0का0 बलवीर सिंह, का0 अरूण कुमार, का0 श्रीओम



मीडिया सेल बुलंदशहर